

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



नं० - 165/2024

नवान :-

1. कमला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना हाल मलखेडा तहसील भादरा।
2. दीपचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना हाल मलखेडा तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना हाल मलखेडा तहसील भादरा।
4. किरण बाला पत्नी स्व० दिनेश पुत्र रामकुमार जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. विपिन पुत्र दिनेश
6. एकता पुत्री दिनेश

नाबालिगान जरिए वली कुदरती माता किरणबाला पत्नी  
स्व० दिनेश जाति जाट निवासीगण मलखेडा भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र बादोदेवी पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. रामदयाल पुत्र बादोदेवी पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. भानसिंह उर्फ भानीराम पुत्र बादोदेवी पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. राजकुमार पुत्र बादोदेवी पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. सुभाष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मूर्ति चौक भादरा तहसील भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रतनसिंह धारीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा 14 एएमएस के खाता सं० 144/135 के मु० नं० 37 के किला नं० 15/1 की 0.240 हेक्टर, किला नं० 15/2 की 0.130 हेक्टर गैरमुमकिन रास्ता, किला नं० 16/1 की 0.240 हेक्टर, किला नं० 16/2 की 0.0130 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता, मु० नं० 38 के किला नं० 11 से 20 प्रत्येक किला की 0.253 हेक्टर, मु० नं० 34 के किला नं० 11, 12 व 19, 20 प्रत्येक किला की कुल 18 कि सम्पूर्ण 4.0480 हेक्टर खातेदारी नहरी कृषि भूमि में 0.0260 हेक्टर गैरमुमकिन रास्त की दर्ज है। जिसमें वादीया किरणबाला का 1/60 हिस्सा, वादीया राजबाला का 1/20 हिस्सा, वादी विपिन कुमार का 1/60 हिस्सा, वादी दीपचंद का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी भूपसिंह का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी भानसिंह उर्फ भानीराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी राजकुमार का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी रामदयाल का 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा इसी अनुसार चक 15 एएमएस के खाता सं० 70/71 के मु० नं० 63 के किला नं० 3/1 की 0.2280 हेक्टर नहरी, किला नं० 3/2 की 0.0250 हेक्टर गैरमुमकिन खाला, किला नं० 4/1 की 0.2280 हेक्टर नहरी, किला नं० 4/2 की 0.0250 हेक्टर गैरमुमकिन खाला, किला नं० 5/1 की 0.2280 हेक्टर नहरी, किला नं० 5/2 की 0.0250 हेक्टर गैर मुमकिन खाला, किला नं० 6, 7 प्रत्येक की 0.2530 हेक्टर नहरी, किला

की 0.2020 हैक्टर नहरी, किला नं० 13 की 0.0510 हैक्टर नहरी, किला नं० 14 की 0.2020 हैक्टर नहरी, किला नं० 15 की 0.2530 हैक्टर नहरी, किला नं० 16 की 0.2020 हैक्टर नहरी, किला नं० 17 की 0.0510 हैक्टर नहरी कुल किला 14 की 2.2260 हैक्टर जिसमें 2.1510 हैक्टर नहरी, 0.0750 हैक्टर गैरमुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि में वादीया का 6/371 हिस्सा, वादीया का 18/371 हिस्सा, वादीया किरणबाला का 6/371 हिस्सा, वादी विपिन कुमार का 6/371 हिस्सा, वादी दीपचन्द्र का 18/371 हिस्सा, वादीया राजबाला का 18/371 हिस्सा, प्रतिवादी भूपसिंह का 445/2226 हिस्सा, प्रतिवादी भानसिंह उर्फ भानीराम का 297/1484 हिस्सा, प्रतिवादी राजकुमार का 297/1484 हिस्सा, प्रतिवादी रामदयाल का 445/2226 हिस्सा, प्रतिवादी सुभाष का 13/2226 हिस्सा खातेदारी संयुक्त खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु वादीगण ने निवेदन किया। अतः वाद वादी प्राथमिक डीकी किया जाकर तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 21 की पालना करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पक्षकारान की उपस्थिति उक्त विवादित भूमि का विभाजन मय रास्ता तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 03.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*Kalpa*  
(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S  
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़